**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**14.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 629 का उत्‍तर**

 **पूर्वोत्‍तर रेलवे में सहायक वाणिज्‍य प्रबंधक के रिक्‍त पदों को भरना**

**629. श्रीमती छाया वर्मा:**

 **श्री विशम्‍भर प्रसाद निषाद:**

 **चौधरी सुखराम सिंह यादव:**

 **क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या पूर्वोत्‍तर रेलवे के सहायक वाणिज्‍य प्रबंधक (ग्रुप बी) की पदोन्‍नति हेतु 30 फीसदी रिक्तियों के लिए 11 फरवरी, 2018 को परीक्षा करवाई गई थी जिसमें धांधली सामने आई है;

(ख) क्‍या जिन अभ्‍यर्थियों ने लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्‍त किए थे, उनका साक्षात्‍कार लिए बिना परिणाम घोषित कर पदों को भर लिया गया; और

(ग) क्‍या परीक्षा के सभी अधिसूचित पदों पर नियुक्तियां होने और पैनल आपरेट होने के पश्‍चात पुन: शुद्धिपत्र जारी कर 1 फरवरी, 2018 को उक्‍त अभ्‍यर्थियों को, नियमों को धता बताते हुए, योग्‍य घोषित किया गया?

**उत्‍तर**

**संचार मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) एवं**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री मनोज सिन्‍हा)**

**(क)** : पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) में सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक (एसीएम) (समूह-बी) की पदोन्नति के लिए 1 फरवरी 2018 को 30 प्रतिशत रिक्तियों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस मामले में शिकायत के बाद, पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता द्वारा जांच शुरू की गई है।

(ख) : दिशानिर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद परिणाम घोषित करके सभी रिक्तियों को भरा गया था इनमें वह उम्मीदवार भी शामिल था, जिसने उच्चतम अंक प्राप्त किए थे। बहरहाल, आरक्षित श्रेणी का एक उम्मीदवार, जिसने छूट-प्राप्त मानदंडों पर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच उच्चतम अंक प्राप्त किए थे, उसे भूलवश साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।

(ग) : सभी अधिसूचित पदों के लिए की गई नियुक्तियां करने और पैनल को कार्यान्वित करने के बाद, अनजाने में हुई यह त्रुटि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की जानकारी में आई। एक सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में, 01.11.2018 को एक शुद्धि-पत्र जारी किया गया जिसमें नियमों के अनुसार, उक्त उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए अर्हक घोषित किया गया।

\*\*\*\*\*